न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या -41...../2025 धारा 163 भ0ना0सु0सं0

मो0 इमरान अंसारी बनाम शहबाज खान वगै.

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28/3/25	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी ज्ञापांक 778/25 दिनांक 26.03.2025 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक हैं। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 163 भा0 ना0 सु0 संहिता के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ हीं उभय पक्षों से दिनांक 11.4.25 को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 11.4.25 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 28/3/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह) 28/3/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया(गिरिडीह)	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23/5/25	आदेश वाद - 41/25 (B.N.S.S. 163)	

थाना प्रभारी, बगोदर के प्रतिवेदन के अवलोकन से अधोहस्ताक्षरी के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत लोक परिशांति भंग होने की प्रबल संभावना को देखते हुए निम्नलिखित विवरण वाले वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 24/3/25 की प्रभावी तिथि से निषेधाज्ञा प्रवृत किया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया :-

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा : जरमुने, थाना - बगोदर
अंचल : बगोदर, खाता - 13
प्लॉट नं. 2147 रकबा 37 डी०
मध्ये 3.5 डी०

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष को कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त वादग्रस्त भूमि उनके परदादा को खरीदगी केवाला से हासिल था जिसका केवाला सं. 2066 दिनांक 31-05-1940 है। खरीदगी उपरान्त अंचल

आदि

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	कार्यालय बगोदर के मांग पंजी II के पृष्ठ सं॰ 21 भोल्यूम नं॰ 09 पर जमाबन्दी कायम है। वहीं दुसरी और द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें विक्रय विलेख सं॰ 2025/DUMR 346/BK1/315 दिनांक 12-03-25 से दाखिल है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय के मांग पंजी -II के भाग सं॰ 49 पृष्ठ सं॰ 15 पर कायम है। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का अध्ययन/अवलोकन, उभय पक्ष के द्वारा दाखिल राजस्व संबंधी साक्ष्यों के विश्लेषण तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न विवाद स्पष्टः रूप से हक-हकीयत (Title) से संबंधित है। उभय पक्ष अलग अलग राजस्व अंतरण दस्तावेज के आधार उक्त भूमि पर अपना अपना -दावा पेश करते हैं। चूँकि हक-हकीयत	

(2) जारी

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	से संबंधित विवादों का निपटारा अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः प्रस्तुत मामले में कोई अंतिम निर्णय किसी पक्षकार के हित में या विरुद्ध पारित करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद को बिना कोई अंतिम आदेश पारित किए समाप्त घोषित किया जाता है। मुख्य (प्रभावित) पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में युक्तियुक्त (appropriate) वाद लाकर निपटारा कर सकते हैं। लेखवाचित एवं संशोधित [signature] 23/6/25 [signature] 23/6/25 अनु०मण्डल पदाधिकारी अनु० प०अ० बगोदर-सरिया बगोदर-सरिया	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.21 10:52:30 +05:30
Location: 192.168.1.9